तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
1 9/7/1 9	वकील फरीकैन उपस्थित। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं काउन्टर T.I. दोनों आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल फाइल रहे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
05/16	अस्थायी निषेधाज्ञा	20.01.16	19.02.19

1. नारायणसिह पुत्र गिरधारसिह
2. कानसिह पुत्र उंकारसिह
3. सुरेशसिह पुत्र उंकारसिह
4. कैलाशसिह पुत्र उंकारसिह
5. बिट्टो देवी बेवा उंकारसिह
6. मुकेश

समस्त जाति राजपूत निवासीयान फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लखराजसिह पुत्र गिरधरसिह जाति राजपूत निवासी फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. रतनसिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपूत निवासी सैमरदा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. शाखा प्रबन्धक सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा जिला करौली।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम फतेहपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 04, 31, 56, 83, 201, 218, 293, 315 जिसमे खसरा नं0 293, 315 की किश्म गै0मु0 बाड़ा है, कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं खसरा नं0 316/443 रकबा 10 बीघा प्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 1 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की है। ग्राम सैमरदा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 162 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थी सं0 2 व अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है, खसरा नं0 198 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है, खसरा नं0 172, 174 किता 2 कुल रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा प्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 परिवारजन है। प्रार्थना पत्र मे दर्ज मुताबिक सज़रा अनसुार उक्त पुश्तैनी आराजीया तमे प्रार्थी सं0 01 व अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 1/2 एव्र प्रार्थीगण सं0 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/2 है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 की प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 मे वर्णित जैर पुश्तैनी आराजीयात का बाहमी बंटवारा बुजूर्गो के समय से हो गया था एवं बाहमी बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड मे इनका खाता शामलाती होने से एवं पूर्व मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मे आपसी सामंजस्य अच्छा था, अब इसका अभाव हो गया एवं भविष्य मे किसी प्रकार का विवाद नही हो, इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से तहसील मे चलकर मुताबिक बाहगी बंटवारा अनुसार विधिक बंटवारा कर खाता सैपरेट कराने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं0 1 इंकार हो गया। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर सम्बंधित अप्रार्थीगान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 2 व 3 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित न्यायालय नहीं आये है इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 4 का स्वयं हित प्रभावित नहीं होने के कारण जवाब अपेक्षित नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब मय काउन्टर टी. आई. पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र मे वास्तविक तथ्यों को छिपाया है प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि प्रतिकूल है। अनुतोष मे हिस्सा गलत दर्ज किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। ग्राम फतेहपुर की आराजीयात खसरा नं0 04, 31, 56, 83, 201, 218, 293, 315 कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है स्वीकार है इसके अलावा ग्राम रौमरदा, ग्राम फतेहपुर एवं ग्राम मंडी का गांव की अन्य आराजीयात मे प्रार्थीगण ने बाहमी बंटवारा अनुसार हिस्से सही नहीं दर्शाये है, अस्वीकार है। प्रार्थी सं0 2 व 3 चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है तथा अपने नाम उक्त आराजी को कराने की वजह से हड़पना चाहते है। खसरा नं0 512 व 518 प्रार्थी सं0 2, 3 व 4 ने व मुझ अप्रार्थी सं0 1 ने पुश्तैनी जेवरात बेचान करके क्रय की है जो कि प्रार्थी सं0 2, 3 व 4 ने अपने नाम करा रखी है जिसमे अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 हिस्सा है और उस पर काबिज काश्त है। संयुक्त परिवार होने की वजह से एवं अप्रार्थी सं0 1 के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी अपने नाम कराकर तथा अपने नाम होने का फायदा उठाकर हड़पने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण ने काउन्टर टी. आई. का कोई जवाब पेश नहीं किया इसलिए जवाबुल जवाब बंद किया गया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम फतेहपुर सम्बत् 2069–72, ग्राम रौमरदा सम्बत् 2070–73 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष मे आंशिक रूप से साबित है। उभय पक्षकारान उक्त आराजीयात का मौके पर बाहमी बंटवारा किये जाने को सहमत है किन्तु प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण मे अपने अपने हिस्सों मे विरोधाभास तथ्यों मे दर्ज किये है तथा कुछ खसरा नम्बरान मे अपना अपना सैपरेट काश्त बता रहे है। उभय पक्षकारान के उक्त तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष मे आंशिक रूप से साबित है। इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा एवं अप्रार्थीगण की काउन्टर टी. आई. दोनो आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। उभय पक्षकारान को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम फतेहपुर एवं ग्राम रौमरदा तहसील सपोटरा की विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner